



INDIA NON JUDICIAL

Government of Uttar Pradesh

e-Stamp

0.557 | 2.22
#22 NIKHIL Arvind Kumar Sharma
Stamp Vendor
Licence Number: 06118
#22 NIKHIL Arvind Kumar Sharma
Licence Number: 06118

Certificate No.	IN-UP40713551386073U
Certificate Issued Date	14 Nov 2022 09:14 PM
Account Reference	NONJUDACC -507 up14107454/ FROZABAD/ UP-FRZ
Unique Doc. Reference	SUBIN-UPUP14107454/0226510285300U
Purchased by	SHRI VINAYAK CHARITABLE TRUST BY MNGR MOHIT KUMAR
Description of Document	Article 35 Lease
Property Description	MALLA-ASDEVMAI NOORPUR, GATA NO-196, TENER, BHIKHABAD, DISTT-FIROZABAD
Consideration Price (Rs.)	
First Party	SHRI VINAYAK COLLEGE OF EDU BY PRES CHAIRMAN KASHI
Second Party	SHRI VINAYAK CHARITABLE TRUST BY MNGR MOHIT KUMAR
Stamp Duty Paid By	SHRI VINAYAK CHARITABLE TRUST BY MNGR MOHIT KUMAR
Stamp Duty Amount (Rs.)	1,500 (One Thousand Five Hundred only)



किराथानामा बिलेस (लीज डीड)

जोडसकना

मोहित कुमार



JD 0019728730



दिनांक 14.11.2022 ई०

स्वाम - मु० 1450/- स्व माह - 29 वर्ष वितरणा-मु० 500/- स्व प्रति माह
अर्थात् 6000/- स्व प्रति वर्ष

1. श्री विनायक कॉलेज ऑफ एज्युकेशन नगला अवाजी एटा रोड तहसील शिकोहाबाद जिला फिरोजाबाद द्वारा अध्यक्ष ओमप्रकाश पुत्र श्री होडल सिंह निवासी नगला अवाजी पोस्ट बानुमई तहसील शिकोहाबाद जिला फिरोजाबाद (आधार नं०- XXXX XXXX 1615 मो०नं०- 9528643769
.....प्रथमपक्ष मालिक
1. श्री विनायक पैदावेविल ट्रस्ट शिकोहाबाद जिला फिरोजाबाद द्वारा संचालित श्री विनायक पैदावेविल कॉलेज नगला अवाजी एटा रोड तहसील शिकोहाबाद जिला फिरोजाबाद द्वारा अध्यक्ष मोहिन कुमार पुत्र श्री चतुर्धर सिंह निवासी 143 बजरंगनगर, सिधुन्दरा आगरा (आधार नं०-XXXX XXXX 4235 फोन नं०-85DPK2825B) Mob 9637762776
..... द्वितीयपक्ष किरायेदार

विदित हो कि मौजा आसदेवमई नूरपुर तहसील शिकोहाबाद जिला फिरोजाबाद के गाटा सं० 166 में स्थित भूमि

ओ०एम०



Handwritten signature



जिसकी पैमाइरा क्षेत्रफल 10115.81 वर्गमीटर होता है जिसकी सीमायें पूरव में खेत मालिक प्रथमपक्ष पश्चिम कच्ची चकरोड उत्तर में पक्की सडक दक्षिण खेत प्रथमपक्ष है उक्त भूमि मुझ प्रथमपक्ष को बैनामा दिनांक 18.04.2013 के आधार पर किराये पर देने का अधिकारी हूँ जो उप निबन्धक कार्यालय शिकोहाबाद के खण्ड सं० 5867 पृष्ठ सं० 361/386 क्रमांक 366S पर दर्ज है के आधार पर कब्जा व दखल व स्वामित्व में है तथा जो आज दिनांक तक हर प्रकार के ऋण भार से मुक्त है। उक्त सम्पत्ति को लीज/किराये पर उठाने का पूर्ण अधिकार हम प्रथमपक्ष को प्राप्त है कोई अन्य व्यक्ति बाधक या निषेधक नहीं है। उक्त सम्पत्ति मुझ प्रथमपक्ष ने किराये (लीज) पर द्वितीयपक्ष को श्री विनायक पैरामेडीकल कॉलेज चलाने के लिये 29 वर्ष के लिये मुयलिंग 500/- रु० प्रति माह के हिसाब से किराये (लीज) पर दे रहे है। उभयपक्ष के मध्य किरायेदारी प्रतिबन्ध निम्नवत तय हुये है जिनका पालन उभयपक्ष व उनके

अ. उ. उ. उ. उ. उ.



अ. उ. उ. उ. उ. उ.



सारिसान व स्थानापन्न आदि करेंगे और प्रतिबन्धों का पालन करने के लिये कानूनन बाध्य रहेंगे। प्रतिबन्ध किरायेदारी यह है

1. यह कि द्वितीयपक्ष ने उक्त सम्पत्ति को 29 वर्ष के लिए 500/- रु० प्रति माह के हिसाब से किराये पर लेना स्वीकार किया है। जिसे प्रथमपक्ष ने देना स्वीकार कर लिया है।
2. यह कि किरायेनामा की अवधि 29 वर्ष के लिए तय की गयी है जो दिनांक 14.11.2022 से 13.11.2051 ई० तक कायम रहेगी।
3. यह कि प्रथमपक्ष ने किराये पर दी गयी भूमि तथा प्लॉट को किरायेदार द्वितीयपक्ष उपरोक्त को सुपुर्द कर दिया है तथा उसमें कॉलेज चलाने की अनुमति प्रदान कर दी है अब द्वितीयपक्ष उक्त सम्पत्ति को कॉलेज चलाने के लिए प्रयोग में ला सकेगा।
4. यह कि किराये पर दी गयी भूमि कॉलेज संचालन हेतु प्रबन्धक द्वारा अपने आवश्यकतानुसार कच्चा पक्का

रुपेंद्र कुमार



रुपेंद्र कुमार



- निर्माण करा लिया जावे जिसमें मुझ प्रथम पक्ष मालिक को कोई आपत्ति नहीं होगी।
5. यह कि कॉलेज चलाने के लिए द्वितीयपक्ष किराये वाली सम्पत्ति पर कॉलेज चलाने से सम्बन्धित समस्त आयद टैक्स जैसे बिजली बिल , वाटर टैक्स , टेलीफोन आदि के बिल आदि से सम्बन्धित जो भी कर व टैक्स आयेंगे उनकी अदायगी भी द्वितीयपक्ष करेगा।
 6. यह कि किराये पर दी गयी भूमि का किराया माह प्रति माह या साल दर साल अदा किया जा सकेगा । किराया प्राप्ति की रसीद प्रथमपक्ष को द्वारा दिया जाना अनिवार्य होगा।
 7. यह कि तय शुदा किराया किरायेदार द्वितीयपक्ष , मालिक प्रथमपक्ष को अदा करके रसीद प्राप्त करता रहेगा । किसी कारणवश किराया रुक जाता है। तो अधिकतम तीन माह से ज्यादा नहीं रोक जा सकेगा , इससे ज्यादा समय के लिए किराया रुकने पर प्रथमपक्ष

मुद्रांक (संकेत)



1/10/2022



को अधिकार होगा कि अदालत मज्जाज से कानूनी प्रक्रिया करके किराया बस्तूल कर लेवे। इसके अलावा भी यदि द्वितीयपक्ष बार बार समय पर किराया न देने का आदी रहता है तो प्रथमपक्ष को अधिकार होगा कि वह किरायानामा को निरस्त करा दे तथा किराये पर दी गयी जायदाद से कब्जा व दखल लेने का अधिकारी रहेगा।

8. यह कि उक्त किरायेनामा/लीज डीड में स्टाम्प शुल्क-1450/-रु० जिसका ई० स्टाम्प नं०- - IN-UP49713551386073U दिनांक 14.11.2022 का अदा किया गया है।
9. यह कि किसी कारण से द्वितीयपक्ष कॉलेज नहीं चला पाता है तो उक्त किराये पर दी गयी भूमि व इमारत आदि को अन्य किसी प्रयोग में नहीं लाया जा सकेगा ऐसी स्थित में किरायानामा निरस्त समझा जायेगा।
10. यह कि दोनों पक्षकारों में किसी तरह की किराया आदि को लेकर वाद विवाद नहीं होता है और सम्बन्ध अच्छे बने

लेखक/प्रमाणित



प्रमाणित



रहते हैं किरायेनामा की अवधि समाप्त होने के पश्चात भी स्कूल चलता रहा तो दोनों पक्षकारों की सहमति हुई तो किरायेनामा बढ़ाया जा सकेगा। जिसका अलग से किरायेनामा रजिस्ट्री कराया जायेगा।

नोट -उक्त गाटा की श्रीमान उप जिलाधिकारी महोदय शिकोहाबाद द्वारा वाद सं० 39 दिनांक 13.08.2013 को आवादी घोषित की जा चुकी है।

अतः यह किरायेनामा विलेख (लीज) उभयपक्षों ने अपनी स्वस्थ, मानसिक व शारीरिक अवस्था में बिना किसी भय व दबाव के अपनी स्वतंत्र सहमति एवं आपसी रजामन्दी से तथा पढकर व पढवाकर, सुनकर व समझकर निष्पादित कर दिया जो समय पर काम आवे। उभयपक्षों के बतये अनुसार व उनके निर्देशन में इस लेखपत्र का मसौदा तैयार किया गया है।

उभयपक्षों के प्रतिनिधि



13/08/2013



IN-UP49713551386073U

(8)

मसौदाकर्ता योगेन्द्र सिंह एडवोकेट तहसील शिकोहाबाद। तहरीर
दिनांक 14.11.2022 ई०।

योगेन्द्र सिंह एडवोकेट
मो० 9758066333
शिकोहाबाद, फिरोजाबाद

गवाह-1

राहुल चादव पुत्र श्री सुरेश चन्द्र चादव
निवासी- नगला मिनो चीतई
तहसील व जिला मैनपुरी
आ०नं०-XXXX XXXX 2260
मो०- 9758066333



सुरेश चन्द्र

गवाह -2

पुष्पेन्द्र कुमार पुत्र श्री गुरुप्रसाद
निवासी- ग्राम भारा नगला कांस
तहसील शिकोहाबाद जिला फिरोजाबाद
आ०नं०-XXXX XXXX 2660
मो०- 8954066155



योगेन्द्र सिंह एडवोकेट

योगेन्द्र सिंह एडवोकेट



पदा विलेख/कब्रिपरनामा

शी सं: 1

रजिस्ट्रेशन सं: 12558

वर्ष: 2022

निवास: ०-१०२-दुर्ग, ०२०-अमरी नगर, ०-पंजीकरण दुर्ग, ०००-प्रतिनिधित्व दुर्ग, ००-श्री-०२०

श्री. विनायक वैशंपति दुष्ट निजी, निक किरां द्वारा श्री विनायक वैशंपति
अतिथि द्वारा
मोहन कुमार अधिकृत पदाधिकारी प्रतिनिधि
दुर्ग श्री जयसिंह
दुर्गसाग - दुर्ग
दिनांक: 12/11/2022



श्री. विनायक वैशंपति दुष्ट निजी द्वारा श्री विनायक वैशंपति अतिथि द्वारा
द्वारा श्री विनायक वैशंपति अतिथि द्वारा श्री विनायक वैशंपति अतिथि द्वारा
द्वारा श्री विनायक वैशंपति अतिथि द्वारा श्री विनायक वैशंपति अतिथि द्वारा
द्वारा श्री विनायक वैशंपति अतिथि द्वारा श्री विनायक वैशंपति अतिथि द्वारा
द्वारा श्री विनायक वैशंपति अतिथि द्वारा श्री विनायक वैशंपति अतिथि द्वारा

प्रतिनिधित्व अधिकारी के द्वारा

मोहन कुमार अधिकृत पदाधिकारी
दुर्ग निवास - निजीकरण
दिनांक: 12/11/2022

दिनांक: 12/11/2022

दिनांक



पृ० सं०- १

रजिस्ट्रेशन नं०: 2259

दि० 2022

निष्पादन लेखापत्र बाढ़ बुजने व समझने अजयुक्त व धापा धरनादि ३ प्रसंगानुसार उभा
पट्टा बना।

श्री विनायक शक्ति अर्थ एजुकेशन के द्वारा
लेखापत्र, पुन श्री शिवेश सिंह
निवासी- गारा जयकी रोड धनुर्मा तहसील
किलोहाबाद जिला किरोडाबाद
जयसाम्प, कुनि
घट्टा मुहूर्तः ।



श्री विनायक वैदिकेडिजिटल टुन्ट विन्की डिजल किरी द्वारा
श्री विनायक वैदिकेडिजिटल कॉलेज के द्वारा शिवेश
कुमार, पुन श्री शिवेश सिंह
निवासी- (1) अन्तरासम्प, सिवटल जयसाम्प
जयसाम्प, कुनि



ने निष्पादन स्वीकार किया। जिनकी पहचान
पहचानकर्ताः ।

श्री राहुल शर्मा, पुन श्री सुरेश चन्द्र पाठक
निवासी- गारा जेन्ने चौक तहसील व जिला मैनपुरी
जयसाम्प, कुनि
पहचानकर्ताः 2



श्री सुरेश कुमार, पुन किरोडाबाद
निवासी- धन मयल रोड जयसाम्प तहसील किरोडाबाद
जिला किरोडाबाद जेन्ने
जयसाम्प, कुनि



रजिस्ट्रेशन अधिकारी के जयसाम्प

शिवेश कुमार पाठक प्रभारी
उप निबंधक, किरोडाबाद
किरोडाबाद
15/11/2022

ने श्री । प्रस्तावक पद अधिकारी के निवास अंगुठे
दिखा जयसाम्प किरोडाबाद जेन्ने ।
दिनांक

निबंधक शिवेश कुमार
15/11/2022

आवेदन सं०: 202200774014759

पृथी संख्या 1 जिल्द संख्या 10037 के पृष्ठ 217 से 234 तक
क्रमांक 12851 पर दिनांक 15/11/2022 को रजिस्ट्रीकृत किया गया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर


जितेन्द्र कुमर सादव प्रभारी
उप निबंधक शिकोहाबाद
फिरोजाबाद
15/11/2022

